प्रेस-विज्ञप्ति **25 जनवरी, 2021**

दिनांक **25 जनवरी, 2021** को समय सायं **04:00** बजे मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी एवं कानपुर इनकम बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में "**रिसेन्ट जजमेंट - रिअसेसमेन्ट (सेक्शन 148)** एवं **फेसलेस अपील**" पर वर्चुअल माध्यम से जूम पोर्टल पर गोष्ठी आयोजित की गयी **|**

मर्चेंट्स चेम्बर के अध्यक्ष श्री मुकुल टंडन ने उपरोक्त विषय पर आयोजित गोष्ठी में अनुभवी वक्ता अधिवक्ता सीए कपिल गोयल का अभिनन्दन किया तथा वर्चुअल एवं सभागार मे उपस्थित सदस्यगणों व् मीडिया कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद दिया।

सीए ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने अधिवक्ता सीए कपिल गोयल का विस्तार से परिचय दिया एवं श्री गोयल को समस्त गणमान्यों का विषयानुगत मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया।

अधिवक्ता सीए कपिल गोयल ने पुनः करनिर्धारण द्वारा धारा 48 के तहत नई दिल्ली से अपना ऑनलाइन वर्चुअल व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए बताया कि पुनः करनिर्धारण की कार्रवाई में जब तक विभाग के पास पुख्ता सबूत व दस्तावेज न हो तब तक कोइ भी विभागीय कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती है। विभाग को उच्च अधिकारियों को अनुमोदन देने के पूर्व इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए और केवल मशीनरी तर्ज पर किसी कार्रवाई का अनुमोदन प्रदान नहीं करना चाहिए ताकि किसी भी करदाता का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न व परेशानी न हो।
श्री गोयल ने बताया कि इनकम टैक्स कानून के तहत किसी डीम्ड आय पर कर आरोपित किया जाना उचित एवं जायज़ नहीं है। करदेयता वास्तविक आमदनी पर ही होनी चाहिए। धारा 68, 69 एवं 69-A के तहत यदि खर्च हुआ निवेश का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं प्रतीत हो तब नए कानून की धारा "115-BBE" के तहत लगभग 80 प्रतिशत की दर से इनकम टैक्स की वसूली की जा सकती है परन्तु कर के आरोपण के इस दर का औचित्य नहीं है।
फेसलेस अपील प्रक्रिया की विसंगतियों को इंगित करते हुए श्री गोयल ने बताया कि इस निर्धारित प्रक्रिया में सबसे अधिक परेशानी यह है है कि विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि जिस अपीलीय न्यायायिक अधिकारी को निर्णय लेना है, उस न्यायायिक अधिकारी के समक्ष सुनवाई होनी चाहिए। इस फेसलेस अपील में इसका अभाव है तथा इसी तरह की अन्य विसंगतियां भी है जिससे सही न्यायायिक निर्णय प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी।

सत्र का संचालन सीए सुधींद्र जैन ने किया एवं **धन्यवाद प्रस्ताव** सीए डी.एस. सिन्हा ने दिया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभागार मे मर्चेंट्स चेम्बर के उपाध्यक्ष- श्री अतुल कनोडिया, श्री संतोष कुमार गुप्ता, मर्चेंट्स चेम्बर के सचिव महेंद्र नाथ मोदी, श्री अखिलेश तिवारी उपस्थित थे।